मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 7703 /MGNREGS-MP/NR-3/2011 भोपाल, दिनांकः 26 जुलाई, 2011

प्रति,

- समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

विषयः महात्मा गांधी नरेगा समस्या निवारण शिविर का आयोजन।

शासन की जानकारी में आया है कि कुछ जनपद पंचायतों में कार्य का मूल्यांकन किये जाने में विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण मजदूरी के भुगतान में भी अत्यधिक विलम्ब होता है। इसी प्रकार यह भी जानकारी में लाया गया है कि कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूपों के प्राक्कलन तैयार होने एवं उनकी स्वीकृतियों में अधिक समय लग रहा है। यदि स्वीकृतियां जारी हुई भी है तो पंचायतों को राशि वितरण में भी विलम्ब की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। यह भी जानकारी में आया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा राशि की मांग के प्रस्ताव जनपद पंचायतों को भेजने पर टाप–अप करने की प्रक्रिया में भी कुछ स्थानों पर अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि माह अगस्त एवं सितम्बर में पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद पंचायत में एक **मनरेगा समस्या निवारण शिविर** का आयोजन किया जावे। शिविर के आयोजन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः

1 प्रत्येक जनपद पंचायत में जनपद पंचायत मुख्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण ग्राम में इस शिविर का आयोजन किया जावे।

2 इस शिविर में निम्नलिखित विषयों पर निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगीः–

(i) शिविर दिनांक तक लंबित समस्त मूल्यांकनों का निपटारा किया जाकर शिविर दिनांक को ग्राम पंचायतवार एवं कार्यवार प्रतिवेदन संबंधित सहायक यंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जावे। इस प्रतिवेदन पर शिविर में चर्चा की जावे।

(ii) योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान के लंबित प्रकरणों का शिविर दिनांक के पूर्व पूर्ण निपटारा कर लिया जावे। शिविर में प्रत्येक Line Department एवं ग्राम पंचायत द्वारा लंबित भुगतान संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर उस पर चर्चा की जावे।

(iii) प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सामुदायिक प्रकृति के एवं 20 हितग्राहीमूलक कार्यों के स्वीकृत प्राक्कलनों को तैयार रखने के निर्देश हैं। शिविर के दिनांक तक जिन पंचायतों में स्वीकृत प्राक्कलन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं उनमें प्राक्कलन स्वीकृत कर रखे जावें। शिविर के दिनांक को प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कार्यों के नाम तथा तकनीकी स्वीकृति शुदा प्राक्कलनों की लागत विवरण प्रस्तुत किया जाये एवं इस विषय पर चर्चा की जावे।

(iv) कपिलधारा योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार कूपों की स्वीकृति दी जाकर इस समय कार्य निर्माणाधीन स्थिति में होना अपेक्षित है। परन्तु ऐसा प्रतिवेदित हुआ है कि कुछ ग्राम पंचायतों में कूपों की स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं। अतः शिविर के दिनांक तक लक्ष्य के अनुसार समस्त ग्राम पंचायतों में कूपों की स्वीकृतियों के कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, शिविर में सभी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कूपों की सूची प्रस्तुत की जावे एवं उस पर चर्चा की जावे।

(v) ग्राम पंचायतों की राशि की मांग आने पर टाप–अप करने के लिए राशि की उपलब्धतता सुनिश्चित करना जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का मुख्य दायित्व है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायतों द्वारा लम्बे समय तक मांग करने पर भी टाप–अप करने के लिए राशि की उपलब्धतता समय से जिला पंचायत द्वारा नहीं करायी जा रही है। शिविर दिनांक के एक हफ्ते पूर्व तक की दिनांक तक यदि किसी ग्राम पंचायत ने टाप–अप करने के लिए राशि की मांग की है तो नियमानुसार वह राशि शिविर दिनांक तक ग्राम पंचायत को प्राप्त हो जानी चाहिए। शिविर में प्रत्येक ग्राम पंचायत को टाप–अप करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है इसका विस्तृत प्रतिवेदन जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया जावे। जिस जनपद पंचायत में यह शिविर आयोजित किया जा रहा है उससे संबंधित कार्य के लिए Line Department द्वारा जिला पंचायत से की गई राशि की मांग पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी और जिला पंचायत Line Department वार उनकी मांग के अनुसार जारी की गई राशि का विवरण भी शिविर में प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) इस शिविर का उपयोग, शासन द्वारा हाल ही में किये गये टास्क दरों में संशोधन की जानकारी सरल भाषा में ग्राम पंचायतों को सीधे उपलब्ध कराने के लिये भी किया जावे।

(vii) शिविर का आयोजन जनपद पंचायत द्वारा किया जायेगा परन्तु शिविर के आयोजन करने के समन्वय एवं इस विषय पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने का दायित्व जिला पंचायत का होगा जो कि संबंधित जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में कार्यवाही करेंगे।

(viii) इस शिविर में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों एवं प्रशिक्षित मेट्स आदि को आमंत्रित किया जावे एवं Line Department के जिले स्तर एवं जनपद स्तर के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जावे। इन शिविरों का उपयोग शासन के अन्य योजना के विस्तृत प्रचार–प्रसार के लिए भी किया जा सकता है।

उपरोक्त बिन्दु (i) से (v) तक उल्लेखित चर्चा में हितग्राही, ग्राम सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि या सामान्य जन भी भाग ले सकते हैं। चर्चा के उपरान्त बिन्दुवार प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं चर्चा से उपस्थित हुई वास्तविक स्थिति का विश्लेषण जिला पंचायत द्वारा गंभीरता से किया जावे। यदि प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर कोई अंतर आता है तो उसे समयबद्ध तरीके से संबोधित कर कार्य पूर्ण किया जावे।

प्रत्येक जिला पंचायत दिनांक 30 जुलाई तक उनके जिले में आयोजित किये जाने वाले शिविरों का कार्यक्रम दिनांक एवं स्थान सहित परिषद को अवगत करावें ताकि इन शिविरों में राज्य स्तर के अधिकारियों को भी भाग लेने के लिये भेजा जा सके। मान्नीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी स्वयं कुछ स्थानों पर शिविरों में उपस्थित रहने की मंशा जाहिर की है।

25/7/11

(अरुणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / 7704 / MGNREGS-MP/NR-3/2011 भोपाल, दिनांकः 26 जुलाई, 2011

प्रतिलिपिः–

1. संभागायुक्त, समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मं.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग